



## राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर 302004

क्रमांक: शैक्षणिक द्वितीय/के.प्र.स./2023/10496

दिनांक: 28/10/23

### —::कार्यालय आदेश::—

माननीय कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 26.10.2023 की अनुपालना में राजस्थान विश्वविद्यालय के समस्त विभागों/केन्द्रों/संघटक महाविद्यालयों में प्रवेशित ऐसे विद्यार्थी जिनका पुनर्मूल्यांकन परिणाम घोषित होने के पश्चात् अगली कक्षा में क्रमोन्नत हुए हैं, उन्हें विश्वविद्यालय अध्यादेश-157 के बिन्दु संख्या-14 के तहत पुनर्मूल्यांकन का परिणाम जारी होने की तिथि से 21 दिवस में पुनः-प्रवेश (Re-admission) दिये जाने एवं प्रवेश शुल्क ऑफलाइन माध्यम से जमा करवाये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

— Sd —  
(डॉ. कुलदीप मिश्रा)  
उप-कुलसचिव (शैक्षणिक-2)

क्रमांक: शैक्षणिक द्वितीय/के.प्र.स./2023/28/10/10497-540 दिनांक: 28/10/23

प्रतिलिपि निम्न को सचूनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रो.एस.एल. शर्मा, संयोजक, केन्द्रीय प्रवेश समिति, रा.वि.वि., जयपुर।
2. समस्त निदेशक/विभागाध्यक्ष/प्राचार्य, रा.वि.वि., जयपुर।
3. निदेशक, इन्फोनेट सेन्टर, रा.वि.वि., जयपुर।
4. उप कुलसचिव, लेखा एवं वित्त विभाग, रा.वि.वि., जयपुर।
5. प्रबन्धक, आई.सी.आई.सी.आई. बैंक, विश्वविद्यालय परिसर, रा.वि.वि., जयपुर।
6. वरिष्ठ निजी सहायक, कुलपति/कुलसचिव, रा.वि.वि., जयपुर।

10497/28/10/2023  
(डॉ. कुलदीप मिश्रा)  
उप-कुलसचिव (शैक्षणिक-2)